रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 15, 1983 (आश्विन 23, 1905)
42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 15, 1983 (ASVINA 23, 1905)

भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	703
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1427
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और सांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	25
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1563
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	18511
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	669
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	177
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3105
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	175
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्रदान नहीं की गई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolution and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	703
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1427
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	25
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1563
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PRR II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PAR II—SEC ION 3—SUB-SEC. (iii),—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of Indi of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	18511
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	669
PAR III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	177
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3105
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	175
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्तूबर, 1983

सं० 71-प्रेज/83--राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के निम्नांकित अधिकारियो को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं --

अधिकारियो के नाम तथा पद

1 श्री चरण पाल सिंह,
पुलिस निरीक्षक, थाना कोतवाली,
जिला एटा, उत्तर प्रदेश ।

2 श्री जवाहर लाल
पुलिस उप-निरीक्षक, थाना कोतवाली,
जिला एटा, उत्तर प्रदेश ।

सेवाओ का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

14 नवम्बर, 1979 को श्री चरण पाल सिंह, पुलिस निरीक्षक, ने श्री जवाहर लाल, पुलिस उप-निरीक्षक, समेत पुलिस/पी०ए०सी० की एक टुकड़ी को साथ लेकर डाकू छबीराम के गिरोह की संदिग्ध उपस्थिति की जांच करने के ध्येय से गांव ताड़िया के जंगल की छानबीन की । जंगल से लौटने के दौरान उन्हे गाव माहे थाना अलीगंज, मे बाबू राम के मकान मे कुख्यात डाकू रणबीर सिंह लोध और उसके गिरोह की उपस्थिति के संबध में सूचना मिली । मुखबिर ने बताया था गिरोह आधुनिक घातक हथियारो से पूर्णत लैस होकर डाका डालने की योजना बना रहा था ।

इस सूचना के मिलने पर श्री चरण पाल सिंह पुलिस दल के साथ तुरन्त गाव माहे खेड़ा की तरफ बढ़े । ऐसा बताया गया था कि गिरोह बाबू राम के मकान से सटे नरेश लोध के छत से ढके हुए शैड में छिपा हुआ था । पुलिस दल सावधानी के साथ बाबू राम के मकान की ओर बढ़ा जहां पर उन्होंने लकड़ी का एक जीना देखा जिसे डाकुओ ने स्पष्टत छत पर चढ़ने के लिए लगाया हुआ था । पुलिस दल खुले स्थान में था और उसे देखकर डाकुओं ने पुलिस पर गोली चला दी । श्री चरण पाल सिंह ने पुलिस कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे वहां उपलब्ध बचाव के स्थानो की आड़ ले लें । फिर उन्होंने उप-निरीक्षक श्री जवाहर लाल तथा अन्य अधिकारियो व कर्मचारियों को बच निकलने के सभी संभावित स्थानो पर तैनात किया और रास्ते रोकने के लिए टुकड़ियां लगा दीं । श्री बाबू राम के मकान के निवासियो को बाहर निकाला गया और सुरक्षित स्थानो पर भेज दिया गया । डाकू सभी दिशाओं में गोली चलाते रहे जिसके परिणामस्वरूप उप-निरीक्षक जवाहर लाल, एक हैड कांस्टेबल तथा पी०ए०सी० के एक कांस्टेबल को बन्दूक की गोली से चोटें आईं । दोपहर बाद लगभग 3 30 बजे डाकुओ ने भाग जाने का निष्फल प्रयास किया किन्तु वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि भाग जाने के सभी स्थानो पर पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी रखी गयी थी । पुलिस दल ने डाकुओं को सारी रात उनके द्वारा रुक-रुक कर की गई गोलीबारी का यदा कदा जवाब दे कर व्यस्त रखा । श्री चरण पाल सिंह मकान की छत पर चढ़ गए जब कि उनके साथियो ने उन्हे फायर कवर दिया ।

गोली-बारी के परिणामस्वरूप एक डाकू श्री जवाहर सिंह के मकान में अपनी बन्दूक सहित गिर पड़ा । बाद में डाकू के शव को पहचान करने पर उसे कुख्यात डाकू कालीचरण पाया गया । छत पर पहुंच कर श्री चरण पाल सिंह ने डाकुओं पर गोली चलाई जो अब अधिक सुभेद्य हो गए थे । पुलिस दल ने शैड में छिपे डाकुओ पर गोली-बारी का दबाव बनाए रखा । कुछ समय के बाद डाकुओ की तरफ से गोली बारी बन्द हो गई और पुलिस ने जवाब में गोली नहीं चलाई । शैड में प्रवेश करने पर पांच डाकू मृत पाए गए । इस साहसिक मुठभेड़ में, जो 17 घंटे तक जारी रही, छ डाकू मारे गए ।

इस मुठभेड़ में श्री चरण पाल सिंह, निरीक्षक, और श्री जवाहर लाल, उप निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, अनुकरणीय साहस और अति उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

2 ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 नवम्बर, 1979, से दिया जाएगा ।

सं० 72-प्रेज/83--राष्ट्रपति महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं --

अधिकारी का नाम तथा पद

1 श्री भास्कर रामचन्द्र डांगले,
इन्सपेक्टर पुलिस,
ग्रेटर बम्बई पुलिस बल,

सेवाओ का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

25 जून, 1982, को अपराह्न लगभग 4 00 बजे, जब श्री भास्कर रामचन्द्र डांगले एक यातायात जीप में गश्त लगा रहे थे और जैसे ही वे चौपाटी बस स्टैंड जंक्शन पर पहुंचे, तो उन्होंने जंक्शन के पास टैक्सी स्टैंड पर कुछ खलबली सी होते देखी । श्री डांगले और उनके साथी के कर्मचारीगण तुरन्त घटनास्थल की तरफ गए जहां उन्होंने दो व्यक्तियो को देखा, जिनमे से एक व्यक्ति एक टैक्सी ड्राइवर को रिवाल्वर दिखाकर इस बात के लिए बाध्य कर रहा था कि वह उन्हे वहां से ले चले । जंक्शन पर ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल सं० 4275/टी० भी० वहा पहुंच गया जिसके बाद जो व्यक्ति रिवाल्वर लिए हुए था, उसने कांस्टेबल की ओर रिवाल्वर करके उसे ललकारा । कांस्टेबल ने पास खड़ी कार की आड़ ले ली । श्री डांगले ने अपनी वर्दी की पेटी निकाल ली और उस व्यक्ति पर टूट पड़ा जो रिवाल्वर लिये हुए था । उन्होंने गंभीर खतरे का सामना करते हुए उस व्यक्ति के चेहरे पर अपनी पेटी से तुरन्त वार किया । श्री डांगले की इस कार्रवाई ने जीप के ड्राइवर, दो यातायात पुलिस कर्मियो और जंक्शन पर बदोबस्त ड्यूटी पर तैनात डा० जी० बी० मार्ग थाने के दो पुलिस कर्मियो को अपराधी तथा उसके साथी को काबू करने में श्री डांगले की मदद करने के लिए प्रेरित किया । रिवाल्वर भरी हुई और चालू हालत में पाई गई । ये दो अपराधी उस गिरोह के सदस्य थे, जिसने इससे पहले पास के भवन से एक बूढ़ी औरत के सोने के कड़े लूट लिये थे, और भागने का प्रयास कर रहे थे । श्री डांगले ने एक एयर बैग पकड़ा जिसमे एक रामपुरी चाकू, एक कारतूस और दो सोने के कड़े थे ।

अपराधियो को पकड़ने में श्री भास्कर रामचन्द्र डांगले ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 जून, 1982, से दिया जाएगा ।

सं० 73-प्रेज/83--राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारियों के नाम तथा पद

1. श्री गोपाल सिंह, हैड कांस्टेबल नं० 570052494,
2. श्री सी० एस० आर० राव, कांस्टेबल नं० 740050201,
3. श्री केशव राम, कांस्टेबल नं० 760060052,
4. श्री तेजबीर सिंह, कांस्टेबल नं० 800120014।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

8 जून, 1982, को, सायगोल गांव में स्थित डी० कम्पनी के आफिसर कमांडिंग श्री राम सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, को सूचना मिली कि कांगलई पाक कम्युनिस्ट पार्टी का नेता श्री बिनय सिंह 8/9 जून, 1982 को तारेथकुल गांव के पास किसी स्थान पर पी०एल०ए० के साथ बैठक आयोजित करने वाला था। उन्होंने तुरन्त घात लगाने वाले दो दलों का संगठन किया। 9 जून, 1982, को श्री संतोष सिंह, उप-निरीक्षक, श्री गोपाल सिंह, हैड कांस्टेबल, श्री सी० एस० आर० राव, कांस्टेबल श्री केशव राम, कांस्टेबल, और श्री तेजबीर सिंह, कांस्टेबल, का दल घात लगाने के स्थल से लोशांगखोंग गांव के श्री पासी नामक व्यक्ति के मकान की ओर गया ताकि वहां से नजर रखी जा सके। लगभग 13.45 बजे कांस्टेबल केशव राम ने मकान के पास कईबी खुल्लन की ओर जाने वाली सड़क पर तीन संदिग्ध व्यक्तियों को टहलते हुए देखा। उसने तुरन्त दल को सतर्क कर दिया। दल के कमांडर को संदेह हुआ कि ये व्यक्ति उग्रवादी हो सकते थे। उन्होंने एक योजना बनाई और श्री गोपाल सिंह, श्री सी०एस० आर० राव, श्री केशव राम और श्री तेजबीर सिंह को उनका पीछा करने, उन्हें ललकारने तथा पकड़ने का निदेश दिया। श्री गोपाल सिंह श्री सी० एस० आर० राव, श्री केशव राम और श्री तेजबीर सिंह ने सावधानी से तीन असैनिकों का पीछा किया। कांस्टेबल राव ने तीनों असैनिकों को ललकारा, जो बिल्कुल अचम्भे में पड़ गये। तीनों व्यक्ति तुरन्त झुक गये और मोर्चा संभाला। उनमें से एक ने श्री राव और उनके साथियों पर अपनी पिस्तौल से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। बाद में पहचान करने पर मालूम हुआ कि वह पी० एल० ए० का प्रधान टेम्बा था। श्री राव और श्री तेजबीर सिंह ने जवाब में गोलियां चलाई। इसके साथ-साथ श्री गोपाल सिंह, श्री राव, श्री केशव राम और श्री तेजबीर बिजली की गति से दौड़े, दो उग्रवादियों को घेर लिया और दबोच लिया और उन्हें न तो भागने और न ही केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के दल पर गोली चलाने का मौका दिया, हालांकि दोनों राष्ट्रविरोधियों ने गोली चलाने के लिए अपने हथियार बाहर निकालने का प्रयास किया। तीसरा राष्ट्रविरोधी टेम्बा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दल पर गोली चलाता रहा, परन्तु चारों साहसी जवान विचलित नहीं हुए। दोनों सशस्त्र राष्ट्रविरोधियों पर काबू करने के बाद हैड कांस्टेबल गोपाल सिंह ने कांस्टेबल राव तथा कांस्टेबल तेजबीर सिंह को टेम्बा का पीछा करने का निदेश दिया, जो भागने लगा था। उसका पीछा किया गया, किन्तु घने जंगल और नाले के कारण उसका पता नहीं लगाया जा सका।

पकड़े गये दो उग्रवादियों के कब्जे से एक स्टेन गन, 37 राउंड, एक रिवाल्वर और 6 राउंड बरामद किये गये। दोनों उग्रवादियों की पहचान की गई, जो सिंग-जमई थैंकचोम लीकाई, इम्फाल, के संजम बुध सिंह चाओबा और थैंकचोम सिंह थे।

श्री गोपाल सिंह, हैड कांस्टेबल, श्री सी० एस० आर० राव, कांस्टेबल श्री केशव राम, कांस्टेबल, और तेजबीर सिंह, कांस्टेबल ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, सराहनीय साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं, तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 जून, 1982, से दिया जाएगा।

सं० 74-प्रेज/83--राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :--

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री कुलदीप कुमार, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं० 509,
जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

24 फरवरी, 1982 को, जब श्री कुलदीप कुमार, कांस्टेबल सं० 509, अपने मूल जिला कांगड़ा में छुट्टी पर थे तो वे अपराह्न लगभग 6.45 बजे गांव सालियना थाना पालमपुर से गुजर रहे थे। उन्होंने शोर सुना और देखा कि चार बदमाश एक स्थानीय दुकानदार श्री धनी राम के साथ झगड़ा कर रहे थे और उपर्युक्त दुकानदार को चाकू से जख्मी करने के बाद बदमाशों ने उससे नकदी और हाथ की घड़ी छीननी शुरू कर दी थी। कांस्टेबल इस स्थिति को सहन नहीं कर सके और उनके अन्दर पुलिस अधिकारी की भावना ने उन्हें हस्तक्षेप करने के लिए उत्साहित किया। वे उस दुकानदार के बचाव के लिए भागे और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए दुकानदार के जीवन की रक्षा करने के लिए आततायियों से भिड़ गये। दुर्भाग्यवश लम्बे-लम्बे चाकुओं से लैस लुटेरों ने, कांस्टेबल के शिकंजे से अपने आप को छुड़ाने के प्रयास में कांस्टेबल पर अनेक वार किये और उन्हें जख्मी कर दिया। अपने जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

श्री कुलदीप कुमार, कांस्टेबल, ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, साहस और कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 फरवरी, 1982, से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन राष्ट्रपति का उप-सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 1983

संकल्प

सं० फा० 6 (10)/83-आई० सी०--केन्द्रीय सरकार ने संकल्प सं० फा० 6 (19)/80 आई० सी०, तारीख 26 सितम्बर, 1980 द्वारा "विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वियन समिति" नामक समिति गठित की थी।

और, उक्त समिति का प्रथमतः तीन वर्ष के लिए गठन किया गया था;

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त समिति की अवधि को दो वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त समिति की अवधि का 26 सितम्बर, 1983 से दो वर्ष की और अवधि के लिए उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर विस्तार करती है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को संसूचित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

बी० एस० सेखों, सचिव

गृहमंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 सितम्बर 1983

स० 17019/35/82-एच० पी० पी० (सैल)—इस मंत्रालय की 6 जुलाई 1983 की राजपत्रित अधिसूचना सख्या 17019/35/82-एच० पी० पी० (सैल) के क्रम में, भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए उच्च शक्ति प्राप्त पैनल की अवधि 1-10-1983 से 31-12-1983 तक आगे और बढ़ा दी है।

2 इसे वित्त मंत्रालय के तारीख 7-9-1983 के यू० ओ० डा० सं० 2742/टी० एफ०/83 के तहत उनकी स्वीकृति से जारी किया गया है।

डा० जे० के० बड़ठाकुर संयुक्त सचिव

(औद्योगिक विकास विभाग)

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 1983

स० सरे० 11 (21)/83-खंड-IV—भारत सरकार ने इस संकल्प के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए सरेमिक उद्योग की विकास नामिका का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है :—

1. श्री सी० डी० आनन्द, अध्यक्ष
अपर औद्योगिक सलाहकार,
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
उद्योग भवन,
मौलाना आजाद मार्ग,
नई दिल्ली–110011

2. श्री एच० एल० सोमानी, सदस्य
अध्यक्ष
मैसर्स हिन्दुस्तान सैनिटरीवेयर्स
एण्ड इंडस्ट्रीज लि०,
2, रेड क्रॉस प्लेस,
कलकत्ता–70000

3. श्री जी० के० भगत, सदस्य
मैसर्स बंगाल पाटरीज लि०,
थाकड हाउस,
25, ब्राबार्न रोड,
कलकत्ता–700001

4. डा० एस० के० गुहा, सदस्य
सहायक निदेशक :
सैंट्रल ग्लास एण्ड सरेमिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट
पो० आ० जादवपुर विश्वविद्यालय,
कलकत्ता–700032

5. श्री पी० एम० लोढा, सदस्य
वरिष्ठ अध्यक्ष,
मैसर्स इंडियन रेयन कारपोरेशन लि०,
ए-2, हीरा महल,
44, अमृता शेर गिल मार्ग,
नई दिल्ली ।

6. श्री पी० श्रीराम, सदस्य
मैसर्स शेषाशायी इंडस्ट्रीज लि०,
इंडियन चैम्बर बिल्डिंग एनेक्सी,
एसप्लेनेड,
मद्रास-60000 ।

7. एस० के० चक्रवर्ती, सदस्य
निदेशक (ग्लास एण्ड सरेमिक),
विकास आयुक्त, लघु उद्योग का कार्यालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली —110011

8. श्री वेद कपूर, अध्यक्ष, सदस्य
मैसर्स हितकारी पाटरीज लि०,
संचना, 11 वीं मंजिल,
11 रालस्टाप मार्ग,
नई दिल्ली—110001

9. श्री ए० एस० गनपुरे, सदस्य
प्रबंध निदेशक,
मैसर्स परशुराम पाटरी वर्क्स क० लि०,
मौर्वी-363642
(गुजरात)

10. श्री आर० एम० मेहरा, सदस्य
जेबेली सरेमिक्स एण्ड रिफैक्टरीज लि०,
वेदालू-607303 (तमिलनाडु),

11. श्री बी० एम० आर० राय, सदस्य
वरिष्ठ प्रबंधक,
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०,
(इलैक्ट्रो पोर्सीलीन प्रभाग),
बंगलौर

12. श्री आई० के० कपूर, सदस्य–सचिव
विकास अधिकारी (सरेमिक्स)
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली–110011

नामिका के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(क) उद्योग विकास संबंधी वर्तमान स्थिति पर विचार करना और इसके त्वरित विकास के लिए अभ्यर्पायों की सिफारिशें करना।

(ख) प्रौद्योगिकी और किस्म-उन्नयन सहित भावी प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना।

(ग) जिस सीमा तक मानकीकरण कर लिया गया है उसकी जांच करना तथा भारतीय मानक संस्थान के साथ परामर्श करके और अधिक मानकीकरण के विशिष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत करना।

(घ) सामग्री तथा ऊर्जा संरक्षण संबंधी पहलुओं के मानदंडों पर विचार करना।

(ङ) विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं का राज्यवार/क्षेत्रवार अध्ययन करना तथा आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में और अधिक क्षमता उत्पन्न करने के लिए सुझाव देना।

(च) आधुनिकीकरण एवं

(छ) कोई अन्य उपयुक्त विषय।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 1983

संकल्प

सं० रिफै० 4 (4)/83—भारत सरकार ने इस संकल्प के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए रिफैक्टरी उद्योग की विकास नामिका का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है, जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. डा० एस० एस० घोष, सुन्दर कन्सल्टेन्ट्स, ई० सी० 46, सेक्टर–1 साल्ट लेक सिटी कलकत्ता–700064। — अध्यक्ष
2. श्री बी० बी० अप्पा राव, चीफ रिफैक्टरी इंजीनियर, भिलाई स्टील प्लान्ट, भिलाई (मध्य प्रदेश)। — सदस्य
3. श्री बी० रामचन्द्रन, मैं० मैटालर्जीकल इंजीनियरिंग, कन्सलटेंट (इंडिया) लिमिटेड, रांची–700032। — सदस्य
4. श्री पी० जे० जागुलु, मैं० एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, कटनी (मध्य प्रदेश)। — सदस्य
5. श्री रामकृष्ण राव, मैं० कारबोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड 11/12–नार्थ बीच रोड, मद्रास। — सदस्य
6. श्री एम० एच० डालमिया, मैं० उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड, 4–सिन्धिया हाऊस नई दिल्ली। — सदस्य
7. श्री के० बी० झुनझुनवाला, मैं० उड़ीसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड उदीत नगर, राउरकेला। — सदस्य
8. प्रतिनिधि, इंडियन रिफ्रेक्टरी मेकर्स एसोसिएशन, रायल एक्सचेंज, 6–नेताजी सुभाष मार्ग, कलकत्ता–700001। — सदस्य
9. प्रतिनिधि, सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सरेमिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पो० ओ० जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता 1 — सदस्य
10. प्रतिनिधि, भारतीय खान ब्यूरो, नया सचिवालय बिल्डिंग, नागपुर। — सदस्य
11. प्रतिनिधि, विकास आयुक्त, लघु उद्योग का कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली। — सदस्य
12. प्रतिनिधि, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली। — सदस्य
13. श्री सी० डी० आनन्द, अपर औद्योगिक सलाहकार (रिफैक्टरी) तकनीकी विकास महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली। — सदस्य
14. श्री आई० के० कपूर, विकास अधिकारी (रिफैक्टरी) तकनीकी विकास महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली। — सदस्य-सचिव

नामिका के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(क) उद्योग विकास संबंधी वर्तमान स्थिति पर विचार करना और इसके त्वरित विकास के लिए अभ्युपायों की सिफारिशें करना।

(ख) प्रौद्योगिकी और किस्म उन्नयन सहित भावी प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना।

(ग) जिस सीमा तक मानकीकरण कर लिया गया है उसकी जांच करना तथा भारतीय मानक संस्थान के साथ परामर्श करके और अधिक मानकीकरण के विशिष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत करना।

(घ) सामग्री तथा ऊर्जा संरक्षण संबंधी पहलुओं के मानदंडों पर विचार करना।

(ङ) विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं का राज्यवार/क्षेत्रवार अध्ययन करना तथा आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में और अधिक क्षमता उत्पन्न करने के लिए सुझाव देना।

(च) आधुनिकीकरण, एवं

(छ) कोई अन्य उपयुक्त विषय।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सोम चतुर्वेदी, निदेशक (प्रशासन)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली 110016, दिनांक 3 सितम्बर 1983

संकल्प

सं० बी० 12012 (1)/82-प्रशा०1—भारत सरकार (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) के दिनांक 17 मई, 1982 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करते हुए, तत्काल से प्रभावी नैशनल कांउसिल फार साइंस एंड टैक्नालोजी कम्यूनिकेशन (राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद) का पुनर्गठन किया है :—

अध्यक्ष

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री

उपाध्यक्ष

मंत्रिमंडल की विज्ञान सलाहकार समिति के अध्यक्ष

सदस्य

1. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
2. सचिव, सूचना एवं प्रसारण
3. सचिव, शिक्षा विभाग
4. सचिव, पर्यावरण विभाग
5. सचिव, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय
6. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग
7. सचिव, इलैक्ट्रानिकी विभाग
8. महानिदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
9. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

10-14 अध्यक्ष, राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों/समितियों के (यथा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश। जब भी अन्य राज्य इसी प्रकार की समितियां गठित करेंगे, उनके प्रतिनिधियों को सहयोजित किया जायेगा)।

15. अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग
16. महा निदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
17. महा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
18. परिवार नियोजन आयुक्त
19. महा निदेशक, आकाशवाणी
20. महा निदेशक, दूरदर्शन
21. मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
22. निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन० सी० ई० आर० टी०)
23. निदेशक, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद
24. निदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली
25. निदेशक, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (आई० एंड बी०)
26. निदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता

स्वयंसेवी एजेंसियों के प्रतिनिधि

27. दिल्ली साईंस फोरम, दिल्ली (उत्तरी क्षेत्र)
28. किशोर भारती, होशंगाबाद (म० प्र०)
29. असम साईंस सोसायटी, गौहाटी (पूर्वी क्षेत्र)
30. नेहरू सैन्टर, बम्बई (पश्चिमी क्षेत्र)
31. विक्रम साराभाई कम्युनिटी साईंस सैंटर, अहमदाबाद (पश्चिमी क्षेत्र)
32. केरल शास्त्र साहित्य परिषद, केरल (दक्षिणी क्षेत्र)

विज्ञान पत्रकार और वार्ताकार

33. श्री अनिल अग्रवाल, डायरैक्टर आफ साईंस एंड एन्वायरनमेंट, दिल्ली
34. डा० जगजीत सिंह, साईंस रिपोर्टर, दिल्ली
35. सुश्री रोमी छाबड़ा, प्रोग्राम डायरैक्टर, फैमिली प्लानिंग फाउंडेशन, दिल्ली

फिल्म निर्माता

36. श्री बासु भट्टाचार्य
37. श्री रमेश चन्द्र
38. श्री के० विश्वनाथ
39. लघु क्षेत्र उद्योगों के विकास आयुक्त
40. प्रधान सूचना अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
41. निदेशक, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
42. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक अधिकारी ....सदस्य-सचिव

2. राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद के अन्य विचारार्थ विषय, जोकि भारत सरकार के दिनांक 17 मई, 1982 के संकल्प में दिये गये हैं अपरिवर्तित रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघशासित प्रदेशों के प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, रेलवे बोर्ड, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार की राष्ट्रीय परिषद और परिषद के सभी सदस्यों को प्रेषित की जाए।

विनय शंकर, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर 1983

शुद्धिपत्र

सं० 10-12/82 उर्वरक योजना—भारत के राजपत्र के भाग I खंड 1 में प्रकाशित आदेश संख्या 10-12/82-उर्वरक योजना दिनांक 16 जुलाई, 1983 में विनिर्दिष्ट "31 दिसम्बर, 1983" शब्दों के स्थान पर "31 अक्तूबर, 1983" पढ़ा जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह आदेश जनसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में मुद्रित किया जाए।

डा० छत्रसाल सिंह, निदेशक (उर्वरक II)

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 1983

सं० एफ० 10-1/83-यू०-5—भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के संस्था ज्ञापन पत्र और नियमावली के नियम 3 और 6 के अन्तर्गत भारत सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाली दूसरी अवधि के लिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के सदस्य के रूप में पुनः मनोनीत करती है:—

1. प्रोफैसर वी० एम० उदगांवकर,
   टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान,
   बम्बई।
2. प्रोफैसर पी० सी० जोशी,
   आर्थिक विकास संस्थान,
   दिल्ली।
3. प्रोफैसर एस० चक्रवर्ती,
   दिल्ली स्कूल आफ इकोनामिक्स,
   दिल्ली विश्वविद्यालय,
   दिल्ली।
4. प्रोफैसर एस० गोपाल,
   इतिहास केन्द्र,
   जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,
   दिल्ली।

एस० के० सेन गुप्ता, अवर सचिव

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 1983

संकल्प

सं० एफ० 23-46/81-सी० एच०-5—कला, पुरातत्व विज्ञान, मानवन विज्ञान संस्थाओं, अभिलेखागारों, संग्रहालयो के कार्यकलापों के समन्वयन तथा संस्थाओं और एजेंसियो आदि के लिए भावी योजनाओं तथा कार्यक्रमों की मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार करने के लिए, एक राष्ट्रीय कला परिषद स्थापित करने की संभाव्यता का प्रश्न पिछले कुछ समय से शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के विचाराधीन था। क्योंकि विभिन्न कला स्वरूपों में अभिव्यक्त सांस्कृतिक सम्पदा के परिरक्षण और सरक्षण की आवश्यकता अब पहले से अधिक महसूस की गई है, इसलिए एक राष्ट्रीय कला परिषद् स्थापित करने का निश्चय किया गया है, जिसका गठन इस प्रकार है :—

अध्यक्ष	प्रधान मंत्री
उपाध्यक्ष	शिक्षा और संस्कृति मंत्री
सदस्य	1. वित्त मंत्री
	2. पर्यटन मंत्री
	3. पर्यावरण मंत्री
	4. अध्यक्ष, साहित्य अकादमी
	5. अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी
	6. अध्यक्ष, ललित कला अकादमी
	7. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
	8. निदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली।
	9. निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय
	10. रचनात्मक, कलाओं, अनुसंधान और विद्वता का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ विख्यात व्यक्ति (नामों की घोषणा बाद में की जाएगी)।
सदस्य-सचिव	सचिव, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

2. परिषद् की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी।

3. परिषद् के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति तैयार करना;

(ख) कला, पुरातत्व-विज्ञान, मानव-विज्ञान, संस्थाओं, अभिलेखागारों और संग्रहालयों के कार्यकलापों का समन्वय;

(ग) सतत् अन्तर-सम्बद्धता और भावी विकास को सुनिश्चित करने के लिए उन क्षेत्रों तथा स्वरूपों का पता लगाना जिन पर विशेष ध्यान देने तथा आयोजन की आवश्यकता है;

(घ) संस्थाओ और एजेंसियों की भावी योजनाओ तथा कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार करने की जिम्मेदारी :

(ङ) कोई अन्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थाएं स्थापित करने के सम्बन्ध में सलाह देना·

(च) श्रेष्य भाषाओं और सांस्कृतिक सम्पदा का संरक्षण; और

(छ) इस विषय मे राष्ट्रीय महत्व का कोई अन्य मामला।

आदेश

दिया जाता है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों और सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को संकल्प की एक-एक प्रति भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

सरला ग्रेवाल, सचिव

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 1983

संकल्प

सं० 6/4/82-ट्रांस—उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि० के प्रतिनिधित्व के बारे में विद्युत विभाग के संकल्प सं० 6/4/82-ट्रांस, दिनांक 2 सितम्बर, 1982 में विद्यमान मद सं० (11) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैण्ड तथा मिजोरम की राज्य सरकारों, असम, मेघालय राज्य बिजली बोर्डों, उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम लि०, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधानमंत्री के कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संकल्प

सं० 6/4/82-ट्रांस—पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड के प्रतिनिधित्व के बारे में विद्युत विभाग के संकल्प सं० 6/4/82-ट्रांस दिनांक 2 सितम्बर, 1982 की विद्यमान मद सं० (11) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाए :—

"निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों, सिक्किम राज्य सरकार, दामोदर घाटी निगम, दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री के कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र मे प्रकाशित कर दिया जाए।

संकल्प

सं० 6/4/82-ट्रांस—उत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड के प्रतिनिधित्व के बारे में विद्युत विभाग के संकल्प संख्या 6/4/8-ट्रांस दिनांक 17 जून 1982 में विद्यमान मद संख्या (11) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाए :—

"निदेशक (तकनीकी) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड"

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प जम्मू और कश्मीर पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों, भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, चण्डीगढ़ संघ-शासित क्षेत्र के प्रशासन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड, परमाणु ऊर्जा विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, उत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधानमंत्री के कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

आर० के० शर्मा, संयुक्त सचिव

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 1983

संकल्प

सं० एस०-11016/1/80-एम०-I—भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार ने खान सुरक्षा उपस्कर संबंधी समिति की सिफारिश पर, खान सुरक्षा उपस्कर सलाहकार बोर्ड (अपने संकल्प संख्या 21/4/62-एम० I-, तारीख 7 जून, 1963 द्वारा) का गठन किया ताकि (क) खान सुरक्षा उपस्कर और सामग्री की भावी आवश्यकताओं का आवधिक मूल्यांकन किया जा सके, (ख) ऐसे उपस्कर और सामग्री के देश में उत्पादन की प्रगति का पता लगाया जा सके, (ग) ऐसे उपकरण और सामग्री के आयात के बारे में स्थिति की पुनरीक्षा की जा सके, और (घ) खान सुरक्षा उपस्कर की उपलब्धता के बारे में सामान्यतः परामर्श दिया जा सके।

2. सरकार ने बोर्ड की स्थापना के बाद से खनन उद्योग के व्यापक राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में बोर्ड के कार्यकरण की पुनरीक्षा की। कोयला उद्योग और अधिकांश गैर-कोयला खनन कम्पनियां अब सरकार के स्वामित्व में हैं। बोर्ड के कई कार्यों को अब कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों और सरकार के स्वामित्व के अधीन अन्य गैर-कोयला खनन कम्पनियों द्वारा नियंत्रित तथा समन्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, खान सुरक्षा महानिदेशक, सुरक्षा उपस्कर के निर्माण और देश में निर्मित सुरक्षा उपस्करों में किए जाने वाले सुधारों के क्षेत्र के साथ सम्बद्ध हैं, खान सुरक्षा महानिदेशक स्वदेशी उपस्कर के लिए मानदण्ड निर्धारित करने में भारतीय मानक संस्था समितियों और उप-समितियों के साथ भी सम्बद्ध है और सुरक्षा उपस्कर के क्षेत्र में किए जाने वाले तकनीकी सुधारों के बारे में कोयला और गैर-कोयला खनन उद्योग को उसका मार्ग दर्शन अन्यथा उपलब्ध है। इन सब तथ्यों पर विचार करते हुए, सरकार का यह दृष्टिकोण है कि खान सुरक्षा उपस्कर सलाहकार बोर्ड के पास अब कोई उपयोगी कार्य नहीं है और इसे भंग करने का निर्णय किया गया है तथा इसे एतद्द्वारा भंग किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग और योजना आयोग।

जे० के० जैन, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 1st October 1983

No. 71-Pres/83.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :

Names and rank of the officers

Shri Charan Pal Singh,
Inspector of Police,
PS Kotwali,
District Etah, Uttar Pradesh

Shri Jawahar Lal,
Sub-Inspector of Police, PS Kotwali,
District Etah, Uttar Pradesh.

Statement of Services for which the decoration has been awarded.

On the 14th November, 1979, Shri Charan Pal Singh, Police Inspector, with a posse of Police/PAC including Shri Jawahar Lal, Police Sub-Inspector, combed the jungle of village Deotaria in order to verify the suspected presence of the gang of dacoit Chhabiram. While they were returning from the jungle, information was received about the presence of notorious dacoit Ranvir Singh Lodh and his gang in village Maha Khera, PS Aliganj in the house of Shri Baboo Ram. The informer had reported that the gang, fully armed with sophisticated weapons, was planning to commit a dacoity.

On receiving this information Shri Charan Pal Singh along with the Police force rushed to village Maha Khera. The gang was reported to be hiding in a covered shed of Naresh Lodh, adjacent to the house of Shri Baboo Ram. The Police party cautiously approached the house of Shri Baboo Ram where they sighted a wooden ladder which the dacoits had evidently fixed to climb the roof. On seeing the Police party, the dacoits opened fire on the Police who were in the open. Shri Charan Pal Singh ordered the Policemen to take covers where available. He then deployed Shri Jawahar Lal, Sub-Inspector, and other officers and men at all probable points of escape and posted pickets to cover the tracks. The inmates of the house of Shri Baboo Ram were evacuated and sent to secure places. The dacoits continued firing in all directions as a result of which Shri Jawahar Lal, Sub-Inspector, one Head Constable and a PAC Constable received gun shot injuries. At about 3.30 PM the dacoits made an abortive bid to escape but they could not do so as all the points of escape were under close watch by the Police. The Police party kept engaged the dacoits throughout the night by responding occasionally to their intermittent fire. Shri Charan Pal Singh climbed up the roof of the house while his men gave him fire cover.

As a result of exchange of fire, one dacoit fell down with his gun in the house of Shri Jawahar Singh. The dead body of the dacoit was later on identified to be that of notorious dacoit Kalicharan. Having reached to roof, Shri Charan Pal Singh opened fire on the dacoits who had now become more vulnerable. The Police party kept up the pressure of fire on the dacoits hiding in the shed. After some time the firing from the dacoits ceased and the police did not return fire. On entering the shed, five dacoits were found dead. In this gallant encounter which lasted 17 hours, six dacoits were killed.

In this encounter, Shri Charan Pal Singh, Inspector, and Shri Jawahar Lal, Sub-Inspector, exhibited conspicuous gallantry, exemplary courage and devotion to duty of a very high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th November, 1979.

No. 72-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :

Name and rank of the officer
Shri Bhaskar Ramchandra Dangle,
Inspector of Police,
Greater Bombay Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 25th June, 1982, at about 4.00 P.M., while Shri Bhaskar Ramchandra Dangle, Inspector of Police, was patrolling in a traffic Jeep and as he reached Chaupatty Bus Stand Junction, he noticed some commotion at Taxi Stand near the Junction. Shri Dangle and the accompanying staff immediately rushed to the spot where they noticed two persons, one of whom was brandishing a revolver at a taxi driver to force him for their get-away. Constable No. 4275/1, who was on duty at the junction, also went there, whereupon the person, who was having a revolver, challanged the constable by pointing the revolver at him. The Constable took over behind the adjoining car. Shri Dangle took out his uniform belt and pounced on the person who was holding the revolver. He gave quick blows with his belt on the face of the person in the face of grave danger to his life. This act of Shri Dangle inspired the jeep driver, two traffic policemen and two policemen from Dr. D. B. Marg Police Station who were on bandobust duty at the junction to help Shri Dangle in overpowering the culprit and his associate. The revolver was found loaded

and was operative. These two culprits were members of a gang which had earlier robbed an old women of her gold bangles from a nearby building and were attempting their get-away. Shri Dangle was able to seize an air-bag containing a "Rampuri" knife a live cartridge and two gold bangles.

In apprehending the culprits Shri Bhaskar Ramchandra Dangle exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th June, 1982.

No. 73-Pres./83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :

Names and rank of the officers

Shri Gopal Singh,
Head Constable No. 570052494,
Shri C. S. R. Rao,
Constable No. 740050201

Shri Keshav Ram,
Constable No. 760060052
Shri Tajvir Singh,
Constable No. 800120014

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 8th June, 1982, Shri Rai Singh, Dy. Supdt. of Police, Officer Commanding 'D' Coy. located at Sagolmang, received information that Shri Biney Singh, the Kangleipak Communist Party leader, was likely to organise a meeting with PLA at a place near Taretkhul village on 8/9th June, 1982. He immediately organised two small ambush parties. On the 9th June, 1982, the party comprising of Shri Santokh Singh, Sub-Inspector, Shri Gopal Singh, Head Constable, Shri C. S. R. Rao, Constable, Shri Keshav Ram, Constable, and Shri Tejvir Singh, Constable, moved from the ambush site to the house of one Shri Rasi of village Loushangkhong in order to maintain watch from there. At about 13.45 hours, three suspicious persons were seen by Shri Keshav Ram, Constable, moving along the road near the house leading to Kaibi Khullen. He immediately alerted the party Party Commander suspected that these people could be the extremists. He made a plan and directed Shri Gopal Singh, Shri C. S. R. Rao, Shri Keshav Ram and Shri Tejvir Singh to follow, challange and apprehead them. Shri Gopal Singh, Shri C. S. R. Rao, Shri Keshav Ram and Shri Tejvir Singh discretely followed the three civilians. Shri Rao, Constable, challanged the three civilians, who were taken by complete surprise. All the three persons immediately ducked and took position. One of them, later identified as Temba PLA Chief, started firing at Shri Rao and his inmates with his pistol. Shri Rao and Shri Tejvir Singh retaliated the fire. Simultaneously, Shri Gopal Singh, Shri Rao, Shri Keshav Ram and Shri Tejvir Singh ran down in lightning speed, surrounded and grappled with the two extremists and did not give them chance either to run or to open fire on CRP party though both the insurgents tried to take out their weapons to fire. The third insurgent Temba continued firing on the CRPF party but the four gallant jawans were not deterred. After overpowering the two armed insurgents, Shri Gopal Singh, Head Constable, directed Shri Rao and Shri Tejvir Singh, Constables, to follow Temba who started fleeing. He was chased but could not be located due to thick jungle and nallah.

From the possession of the two apprehended extremists, one Stem Gun, 37 rounds, one revolver and 6 rounds were recovered. The two extremists were identified as S/Shri Senjam Budha Singh Chaoba and Thokchom Singh of Singjamai Thokchom Leikai, Imphal.

Shri Gopal Singh, Head Constable Shri C. S. R. Rao, Constable, Shri Keshav Ram, Constable and Shri Tejvir Singh, Constable, thus exhibited conspicuous gallantry and commandable courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 9th June, 1982.

No. 74-Pres./83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Himachal Pradesh Police :

Name and rank of the officer

Shri Kuldip Kumar, (Posthumous)
Constable No. 509,
District Solan,
Himachal Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 24th February, 1982, while Shri Kuldip Kumar, Constable No. 509, was on leave in his native District Kangra, he was passing through village Saliana, P. S. Palampur at about 6.45 P.M. He heard a noise and observed that four miscreants were having an altercation with a local shopkeeper, Shri Dhani Ram and after inflicting knife injuries on the aforesaid shopkeeper, they had started robbing him of cash and wrist watch. This Constable could not digest this happening and the Police Officer in him prompted him to intervene. He rushed for the rescue of the shopkeeper and unmindful of his life and safety, he grappled with the desperados to protect the life of the shopkeeper. Unfortunately, the robbers, who were armed with long knives, inflicted a number of injuries on the constable in a bid to free themselves from his clutches. He succumbed to his injuries.

Shri Kuldip Kumar, Constable, thus exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th February, 1982.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy. to the President

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 20th September 1983

RESOLUTION

No. F.6(18) 83-IC.—WHEREAS the Central Government constituted a Committee to be known as "The Committee for Implementing Legal Aid Schemes", *vide* Resolution No. F. 6(19)/80-IC dated 26th September, 1980;

AND WHEREAS the said Committee was constituted for three years in the first instance;

AND WHEREAS the Central Government has decided to extend the term of the said Committee for a further period of two years;

NOW, THEREFORE, the Central Government hereby extends the term of the said Committee for a further period of two years with effect from 26th September, 1983 on the same terms and conditions.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Government of India, State Governments and Union Territory Administrations.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. S. SEKHON, Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 22nd September 1983

No. 17019/35/82-HPP(Cell).—In continuation of this Ministry's Gazette Notification No. 17019/35/82-HPP(Cell) dated 6th July, 1983, the Government of India has further extended the tenure of the High Power Panel on Minorities, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Weaker Sections from 1-10-1983 to 31-12-1983.

2. This issues with the concurrence of the Ministry of Finance U.O. Dy. No. 2742/DF/83 dated 7-9-1983.

(DR.) J. K. BARTHAKUR, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
(DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 22nd September 1983

RESOLUTION

No. Cer. 11(21)/83-Vol.IV.—Government of India have decided to reconstitute the Development, Panel for Ceramics Industry with the following composition, for a period of two years from the date of this Resolution :

Chairman

1. Shri C. D. Anand,
Additional Industrial Adviser,
DGTD,
Udyog Bhavan,
Maulana Azad Road,
New Delhi-110011.

Members

2. Shri H. T. Somani,
Chairman,
M/s. Hindustan Sanitarywares & Industries Ltd.,
2, Red Cross Place,
Calcutta-700001.

3. Shri G. K. Bhagat,
M/s. Bengal Potteries Ltd.,
Thapar House,
25, Brabourne Road,
Calcutta-700001.

4. Dr. S. K. Guha,
Asstt. Director,
Central Glass & Ceramic Research Institute,
P.O. Jadavpur University,
Calcutta-700032.

5. Shri P. M. Lodha,
Senior President,
M/s. Indian Rayon Corpn. Ltd.,
A-2, Hira Mahal,
44, Amrita Sher Gill Marg,
New Delhi.

6. Shri P. Sriram,
M/s. Seshasayee Industries Ltd.,
Indian Chamber Building Annexe,
Esplanade,
Madras-600001.

7. Shri S. K. Chakraborty,
Director (Glass & Ceramics),
DCSSI,
Nirman Bhawan,
New Delhi-110011.

8. Shri Ved Kapoor,
Chairman,
M/s. Hitkari Potteries Ltd.,
VANDHNA,
11th Floor, 11, Tolstoy Marg,
New Delhi-110001.

9. Shri A. S. Ganpule,
Managing Director,
M/s. Parshuram Pottery Works Co. Ltd.,
Morvi-363642 (Gujarat State).

10. Shri R. M. Mehra,
Neiveli Ceramics & Refractories Ltd.,
Vadalur-607303 (Tamil Nadu).

11. Shri B. M. R. Rai,
Senior Manager,
Bharat Heavy Electricals Ltd.,
(Electro Porcelain Division),
Bangalore.

12. Shri I. K. Kapur, *Member-Secretary*
Development Officer (Ceramics),
DGTD, Udyog Bhavan,
Maulana Azad Road,
New Delhi-110011.

Terms of reference of the Panel would be as under :

(i) To consider the present stage of development of the industry and to recommend measures for its accelerated growth.

(ii) Forecasting of future technological needs including technology and quality upgradation.

(iii) To examine the extend to which standardisation has been achieved and evolve specific programme for further standardisation in consultation with ISI.

(iv) To consider norms of materials and energy conservation aspects.

(v) To study the statewise, regionwise requirement for various industries and suggestions for creation of further capacities to meet the growing needs of future years to come.

(vi) Modernisation; and

(vii) Any other point, deemed fit.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. Ref./4(4)/83.—Government of India have decided to reconstitute the Development Panel for Refractory Industry with the following composition, for a period of two years from the date of this Resolution :

Chairman

1. Dr. S. S. Ghosh,
Sunder Consultants,
EC 46, Sector 1,
Salt Lake City,
Calcutta-700 064.

Members

2. Shri B. V. Appa Rao,
Chief Refractory Engineer,
Bhilai Steel Plant,
Bhilai (M.P.).

3. Shri B. Ramachandran,
M/s. Metallurgical Engineering
Consultants (India) Limited,
Ranchi-700 032.

4. Shri P. J. Jagus,
M/s. Associated Cement Company Limited,
Katni (M. P.).

5. Shri Ramakrishna Rao,
M/s. Carborundum Universal Limited,
11/12, North Beach Road,
Madras.

6. Shri M. H. Dalmia,
M/s. Orissa Cement Limited,
4-Sciendia House,
New Delhi.

7. Shri K. P. Jhunjhunwala,
M/s. Orissa Industries Limited,
Udit Nagar,
Rourkela.

8. A representative of Indian Refractory Makers Association,
Royal Exchange,
6-Netaji Subhas Road,
Calcutta-700001.

9. A representative of Central Glass & Ceramic Research Institute,
P.O. Jadavpur University,
Calcutta.

10. A representative of Indian Bureau of Mines, New Secretariat Building, Nagpur.
11. A representative of Development Commissioner, Small Scale Industries, Nirman Bhavan, New Delhi.
12. A representative Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhavan, New Delhi.
13. Shri C. D. Anand, Additional Industrial Adviser (Refractories), DGTD, Udyog Bhavan, New Delhi.
14. Shri I. K. Kapur, *Member-Secretary* Development Officer (Refractories), DGTD, Udyog Bhavan, New Delhi.

Terms of reference of the Panel would be as under :

(i) To consider the present stage of development of the industry and to recommend measures for its accelerated growth.

(ii) Forecasting of future technological needs including technology and quality upgradation.

(iii) To examine the extent to which standardisation has been achieved and evolve specific programme for further standardisation in consultation with ISI.

(iv) To consider norms of materials and energy conservation aspects.

(v) To study the statewise, regionwise requirement of Refractories and make suggestions for creation of further capacities to meet the growing needs of future years to come.

(vi) Modernisation; and

(vii) Any other point, deemed fit.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Sd/- ILLEGIBLE
Director (Administration)

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

New Delhi-110 016, the 3rd September 1983

No. B-12012(1)/82-Admn.I.—In partial modification of the Government of India (Department of Science & Technology) Resolution of even number dated the 17th May, 1982, The Government of India have reconstituted with immediate effect the National Council for Science & Technology Communication consisting of the following members :—

Chairman

Minister of State for Science & Technology

Vice-Chairman

Chairman, Science Advisory Committee to the Cabinet (SACC)

Members

1. Secretary, Department of Science & Technology.
2. Secretary, Information & Broadcasting
3. Secretary, Department of Education
4. Secretary, Department of Environment
5. Secretary, Ministry of Rural Reconstruction
6. Secretary, Department of Industrial Development
7. Secretary, Department of Electronics
8. Director General, Defence Research & Development Organisation
9. Chairman, University Grants Commission
10-14. Chairman, State Councils/Committees on Science & Technology (such as Kerala, Karnataka, Maharashtra, West Bengal and U.P. as and when other States will set up similar Comminities, their representatives will be be co-opted).
15. Chairman, Khadi and Village Industries Commission
16. Director General Council of Scientific and Industrial Research
17. Director General, Indian Council of Agricultural Research
18. Family Planning Commissioner
19. Director General, All India Radio
20. Director General, Door-darshan
21. Chief Producer, Films Division, Ministry of Information and Broadcasting
22. Director, National Council of Educational Research and Training (NCERT)
23. Director, Space Applications Centre, Ahmedabad
24. Director, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi
25. Director, Directorate of Advertising and Visual Publicity (I&B)
26. Director, National Council of Science Museums, Calcutta.

Representatives of Voluntary Agencies

27. Delhi Science Forum, Delhi (Northern Region)
28. Kishore Bharati, Hoshangabad (MP)
29. Assam Science Society, Gauhati (Eastern Region)
30. Nehru Centre, Bombay (Western Region)
31. Vikram Sarabhai Community Science Centre, Ahmedabad (Western Region)
32. Kerala Sastra Sahitya Parishad, Kerala (Southern Region)

Science Journalists and Communicators

33. Shri Anil Agarwal, Director of Centre for Science and Environment, Delhi.
34. Dr. Jagjit Singh, Science Reporter, Delhi.
35. Ms. Romi Chhabra, Programme Director of Family Planning Foundation, Delhi.

Film Producers

36. Shri Basu Bhattacharya
37. Shri Ramesh Chandra
38. Shri K. Vishwanath
39. Development Commissioner for Small Scale Industries
40. Principal Information Officer, Ministry of Information & Broad-Casting
41. Director, Directorate of Field Publicity, Ministry of Information & Boardcasting
42. An official Department of Science & Technology.... .....Member-Secretary

2. The other terms and the terms of reference of the National Council for Science & Technology Communication contained in the Government of India Resolution dated 17th May, 1982, remain unaltered.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories, Ministries/Departments of the Governments of India, Planning Commission, Railway Board,

President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat. All Members of the Council of Ministers, Chairman and Vice-Chairman, National Council for S&T Communication and all the Members of the Council.

VINAY SHANKAR
Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION

New Delhi, the 6th September 1983

CORRIGENDUM

No. 10-12/82-Fert.Plg.—The words, "31st December, 1983" appearing in ORDER No. 10-12/82-Fert. Plg. dated 16th July, 1983 published in Gazette of India part I Section I may be read as "31st October, 1983".

ORDER

ORDERED that a copy of the order be communicated to the State Governments of Haryana, Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar, Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, all Ministries and Departments of the Government of India, planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the order be published in the Government of India Gazette for general information.

DR. CHHATTRASAL SINGH, Dir (Fert. II)

MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 19th September 1983

No. F.10-1/83-U5.—Under Rules 3 and 6 of the Memorandum of Association and Rules of the Indian Council of Social Science Research, New Delhi, the following persons are re-nominated by the Government of India as Members of the Indian Council of Social Science Research, New Delhi for the second term ending 31st March, 1986 :

1. Prof. B. M. Udgaonkar
   Tata Institute of Fundamental Research, Bombay.
2. Prof. P. C. Joshi,
   Institute of Economic Growth, Delhi.
3. Prof. S. Chakravarty,
   Delhi School of Economics, University of Delhi, Delhi.
4. Prof. S. Gopal ,
   History Centre, Jawaharlal Nehru University, Delhi.

S. K. SENGUPTA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 19th September 1983

RESOLUTION

No. F.23-46/81/CH-5.—The Ministry of Education and Culture has had, for some time past, under consideration the question of feasibility of setting up a National Council of Arts for coordination of activities of institutions of arts, archaeology, anthropology archives, museums and for providing guidelines for future plans and programmes of institution and agencies etc. As the necessity of preservation and conservation of cultural heritage expressed in various art forms is considered more than ever before, it has been decided to set up a National Council of Arts with the following composition :

3—281GI/83

Chairman

Prime Minister

Vice-Chairman

Minister of Education and Culture

Members

1. Minister of Finance
2. Minister of Tourism
3. Minister of Environment
4. Chairman of Sahitya Akademi
5. Chairman of Sangeet Natak Akademi
6. Chairman of Lalit Kala Akademi
7. Director General of Archaeological Survey of India
8. Director of National Museum, New Delhi
9. Director of National Library
10. Eight eminent persons representing the creative arts, research and scholarship.
    (Names will be announced later on).

Member-Secretary

Secretary, Ministry of Education and Culture.

2. The Council will meet at least twice a year.

3. The functions of the Council will be as follows:

(a) Formulation of National Cultural Policy;

(b) Coordination of activities of institutions of the arts, archaeology, anthropology, archives and museums;

(c) Identification of areas and forms which required special attention and planning in order to ensure continuity interlinking and future growth;

(d) Responsibility for providing guidelines for future plans and programmes of institutions and agencies;

(e) Advise on setting up any new national cultural institutions;

(f) Conservation of classical languages and the cultural heritage; and

(g) Any other matters which may be of national concern in the field.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Govt. of India and all the State Governments and Union Territories.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

SERLA GREWAL, Secy.

MINISTRY OF ENERGY
(DEPARTMENT OF POWER)

New Delhi, the 15th September 1983

RESOLUTION

No. 6/4/82-Trans.—In the Department of Power Resolution No. 6/4/82-Trans dated the 2nd September, 1982 regarding representation of National Hydro Electric Power Corporation Limited on the North-Eastern Regional Elecetricty Board, for the existing item No. (XI) the following may be substituted :

"Director (Technical), National Hydro Electric Power Corporation, Limited."

ORDER

ORDERED that a copy of the order be communicated to the State Governments of Assam, Manipur, Arunachal Pradesh, Tripura, Meghalaya, Nagaland and Mizoram, the State Electricity Boards of Assam and Meghalaya, the North Eastern Electric Power Corporation Limited the Central Electricity Authority, the North-Eastern Regional Electriciy Board, all Ministries of Government of India, the Prime Minister's Office, the Secretary to the President, the Pianning Commission, and the Comptroller and Auditor General of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTIONS

No. 6/4/82-Trans.—In the Department of Power Resolution No. 6/4/82-Trans dated the 2nd September, 1982 regarding the representaion of National Hydro electric Power Corporation Ltd. on the Eastern Regional Electricity Board, for the existing item No. (XI), the following may be substituted :

"Director (Technical), National Hydro-electric Power Corporation Ltd."

ORDER

Ordered that the above Resolution be communicated to the Governments and State Electricity Boards of Bihar, Orissa and West Bengal, the State Governments of Sikkim, the Damodar Valley Corporation, the Durgapur Projects Limited, the National Thermal Power Corporation Limited, the National Hydro Electric Power Corporation Limited, the Central Electricity Authority, the Eastern Regional Electricity Board, all Ministries of Govt. of India the Prime Minister's Office, the Secretary to the President, the Planning Commission, and Comptroller and Auditor General of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. 6/4/82-Trans.—In the Department of Power Resolution No. 6/4/82-Trans dated the 17th June, 1982 regarding representation of National Hydro Electric Power Corporation Limited on the Northern Regional Electricity Board, for the existing item No. (XI), the following may be substituted :

"Director (Technical), National Hydro-electric Power Corporation Limited."

ORDER

Ordered that the above resolution be communicated to the State Governments and State Electricity Boards of Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana and Himachal Pradesh; the Bhakra Management Board, Delhi Electric Supply Undertaking, the Union Territory Administration of Chandigarh, National Thermal Power Corporation Limited, National Hydro Electric Power Corporation Limited, the Department of Atomic Energy, the Central Electricity Authority, the Northern Regional Electricity Board, all Ministries of Government of India, the Prime Minister's Office, the Secretary to the President, the Planning Commission, and Comptroller and Auditor General of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. K. SHARMA, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION
(DEPARTMENT OF LABOUR)

New Delhi, the 20th September 1983

RESOLUTION

No. N-11016/1/80-M.I.—The Central Government in the former Ministry of Labour and Employment had, on the recommendation of the Committee on Mine safety Equipment, set up a Mines Safety Equipment Advisory Board (vide its resolution No. 21/4/62-M.I., dated 7th June, 1963) to (a) make annual assessments of future requirements of mine safety equipment and material, (b) to keep track of the progress of indigenous production of such equipment and material, (c) to review the position regarding import of such equipment and material and (d) generally to advise on the availability of mine safety equipment.

2. The Government have reviewed the functioning of the Board in the context of large scale nationalisation of mining industry since the Board was set up. The coal industry and a large number of non-coal mining companies are now under Government ownership. Much of the functions of the Board are now being controlled and co-ordinated by Coal India Limited and its subsidiary companies, and other non-coal mining companies under Government ownership. Besides, the Director General of Mines Safety is associated in the field of manufacturing of safety equipment and improvement required to be made in indigenously manufactured safety equipments; Director General Mines Safety is also associated with Indian Standards Institution Committees and sub-Committee in laying down standards for indigenous equipments; and his guidance is otherwise available to coal and non-coal mining industry regarding the technological improvements required to be made in the field of safety equipment. Taking all these factors into consideration, Government have come to the view that the Mines Safety Equipment Advisory Board does not now have any useful function to perform and have, therefore, decided to dissolve it, and the same is hereby dissolved.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to :

(1) All State Governments, and Union Territories.

(2) All Ministries/Departments of the Government of India and the Planning Commission.

J. K. JAIN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1983.